

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2,
संख्या-क०नि०-2-2952/ रायरह-७ (३८६) १५०-३०प्र०अधि०-७४-५६-नियम-१९५७-२००७-आदेश (१३)
लखनऊः दिनांक :: ०७ दिसम्बर, २००७

दिक्षिप्ति

साधारण खण्ड अधिनियम, १८९७ (अधिनियम संख्या १० सन् १८९७) की धारा -२१ के साथ पठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम १९५६ (अधिनियम संख्या ७४ सन् १९५६) की धारा १३ की उपधारा (३) और (४) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल केन्द्रीय बिक्री-कर (उत्तर प्रदेश) नियमावली, १९५७ को संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

केन्द्रीय बिक्री-कर (उत्तर प्रदेश) द्वितीय संशोधन नियमावली, २००७

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1-	(1) यह नियमावली केन्द्रीय बिक्री-कर (उत्तर प्रदेश) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, २००७ कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम ८-क का संशोधन	2-	केन्द्रीय बिक्री-कर (उत्तर प्रदेश) नियमावली, १९५७ में, नियम ८-क में उपनियम (२) निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,
ह०/-
(क० चन्द्रमौलि)
प्रमुख सचिव